न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती हरबिन्दर डी. सिंह R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
189/प्रा0पत्र/2024	05.06.2024	26.06.2024

रामकरण आत्मज श्री धूलीलाल जाति खारोल निवासी ग्राम लीलेडा चारणान तहसील तालेड़ा जिला बून्दी

.......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)

.....अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी :- श्री हिम्मत सिंह
अधिवक्ता अप्रार्थीगणः- पेरोकार सरकार

- : : निर्णय : : -

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम)

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खतौनी संख्या पुरानी 127 नया 131 की खसरा संख्या 654/332 रकबा 1.1493 हैक्टेयर वाके ग्राम लीलेडा चारणान तहसील तालेड़ा में विस्थित है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज है भूमि पर काबिज है एवं निर्बाध रूप से काश्त करते चले आ रहे है एवं प्रार्थी ने इस भूमि को काफी रूपये लगाकर उपजाउ एवं कृषि योग्य बनाया है। प्रार्थी की कृषि भूमि के आस-पास अन्य खातेदार एवं गैर खातेदारों की भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी को अपनी भूमि के क्षैत्रफल के अनुसार कृषि कार्य करने में परेशानियों का सामना करना पडता है क्योंकि आस-पास की भूमि के खातेदारों से इस बाबत की मुझे मेरी भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार कृषि कार्य करने दो, तो मौके पर झगडे कि स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अप्रार्थी से प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि का पत्थरगढी एवं तरमीम करने के लिए प्रार्थी कहता है तो आनाकानी करता है एवं सीमाज्ञान, तरमीम एवं पत्थरगढी के लिए तैयार नही होता है। खातेदारी में अंकित आराजी का अधिकार घोषणा करवाने का अधिकार प्रार्थी में निहित है। सीमाज्ञान, पत्थरगढी एवं तरमीम करवाने से प्रतिवादी द्वारा मना करने पर वाद कारण अंतिम बार दिनांक 26.04.2024 को उत्पन्न हुआ एवं तभी से बना हुआ है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित खातेदारी कृषि भूमि में अपने हिस्से की भूमि का सीमाज्ञान, पत्थरगढी एवं तरमीम करवा के अपने नाम खातेदारी अधिकार दर्ज करवाना चाहता है। ताकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के बीच में कोई विवाद उत्पन्न ना हो एवं कानूनी रूप से अधिकार घोषणा करवा के माप सीमांकन के आधार पर खातेदारी अधिकार दर्ज करवा कर सकें।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की भूमि खतौनी संख्या पुराना 127 नया 131 की खसरा संख्या 654/332 रकबा 1.1493 हैक्टेयर वाके ग्राम लीलेडा चारणान भू.अ.नि. क्षेत्र तालेडा तहसील तालेडा में विस्थित भूमि में प्रार्थी के अधिकारों की घोषणा एवं पत्थरगढी, सीमाज्ञान एवं तरमीम करें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी जरिये पेशकार सरकार द्वारा दिनांक 10.06.2024 को लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होना एवं भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार होना अंकित किया गया साथ ही प्रार्थी की कृषि भूमि पर पत्थरगढ़ी, सीमाज्ञान एवं तरमीम करने में कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई।

साक्ष्य में प्रार्थी की ओर से नकल जमाबन्दी खाता संख्या पुराना 127 एवं नया 131 खसरा संख्या 654/332 ग्राम लीलेडा चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी संवत् 2076 की प्रति पेश की।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न साक्ष्य दस्तावेज नकल जमाबन्दी संख्या पुराना 127 एवं नया 131 खसरा संख्या 654/332 ग्राम लीलेडा चारणान संवत् 2076 में रामकरण पुत्र धूलीलाल जाति खारोल सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है जो कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है, जिस पर प्रार्थी को नियमानुसार पत्थर गढ़ी करवाने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढ़ी का शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थी की उपस्थिति में विवादित कृषि भूमि 654/332 रकबा 1.1493 हैक्टेयर वाके ग्राम लीलेडा चारणान भू.अ.नि. तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी की पत्थरगढ़ी की जावे। वाद वर्णित आराजी पर यदि किसी न्यायालय में स्थगन अथवा भूमि विवादित हो तो नियमानुसार कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with OKEN Scanner